



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052022-236056
CG-DL-E-27052022-236056

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2275]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 27, 2022/ज्येष्ठ 6, 1944

No. 2275]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 27, 2022/JYAISHTHA 6, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2022

का.आ. 2396(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतापुराम् जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 544डी के कि.मी.0/000 से कि.मी.5/400 (अनंतपुर - गुंटूरु रोड) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉइंट कलेक्टर, अनंतापुराम् को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतापुराम् जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या.544डी के कि.मी.0/000 से कि.मी.5/400 (अनंतपुर से गुंटूरु रोड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: अनंतापुराम्			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: बुक्काराय समुद्रम					
गांव का नाम: बुक्काराया समुद्रम					
1	14-1A	निजी	गवर्नमेंट वैट	0.0700000(एकर)	0.0283286
2	2-10B	निजी(डीकेटी)	जी.डी.	0.0099999(एकर)	0.0040469
3	2-4B	निजी	ड्राई	0.1199999(एकर)	0.0485633
4	2-7B	निजी(डीकेटी)	जी.डी.	0.0700000(एकर)	0.0283286
5	2-8B	निजी(डीकेटी)	जी.डी.	0.0499999(एकर)	0.0202347
6	2-9B	निजी(डीकेटी)	जी.डी.	0.0200000(एकर)	0.0080939
7	4-1A	निजी(डीकेटी)	ड्राई	0.1199999(एकर)	0.0485633
गांव का नाम: गोविंदपल्ले					
1	286-1A1	निजी	गवर्नमेंट वैट	0.1100000(एकर)	0.0445164
2	286-1B1	निजी	गवर्नमेंट वैट	0.1500001(एकर)	0.0607042
कुल				0.7200	0.2914

[फा. सं. RW/NH-12014/10/2020-AP/Z-III/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2022

S.O. 2396(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.544D in the stretch of

land from Km.0/000 to Km5/400 (Anantapur - Guntur Road) in the district of Anantapuramu in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the JOINT COLLECTOR, ANANTHAPURAMU in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling National Highway No.544D in the stretch of land from Km.0/000 to Km.5/400 (Anantapur to Guntur Road) in the District of Anantapuramu in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: Anantapuramu		
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Bukkaraya Samudram					
Village: Bukkaraya Samudram					
1	14-1A	Private	Government Wet	0.0700000(Acre)	0.0283286
2	2-10B	Private(DKT)	G.D.	0.0099999(Acre)	0.0040469
3	2-4B	Private	Dry	0.1199999(Acre)	0.0485633
4	2-7B	Private(DKT)	G.D.	0.0700000(Acre)	0.0283286
5	2-8B	Private(DKT)	G.D.	0.0499999(Acre)	0.0202347
6	2-9B	Private(DKT)	G.D.	0.0200000(Acre)	0.0080939
7	4-1A	Private(DKT)	Dry	0.1199999(Acre)	0.0485633
Village: Govindapalle					
1	286-1A1	Private	Government Wet	0.1100000(Acre)	0.0445164
2	286-1B1	Private	Government Wet	0.1500001(Acre)	0.0607042
Total				0.7200	0.2914

[F. No. RW/NH-12014/10/2020-AP/Z-III/3A]

RAJESH GUPTA, Director